

प्रेषक,

महानिदेशक,  
स्कूल शिक्षा, उ०प्र०।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।

2- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

पत्रांक: शि०नि०(बे०)/संविलियन/ 86130-86377 /2020-21 दिनांक: 22 मार्च, 2021

विषय:- बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठतम अध्यापक के दायित्वों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञान में आया है कि जनपदों में संविलियन के पश्चात् कक्षा 1-8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक के दायित्वों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त के संबंध में शासनादेश संख्या: 1705/68-5-2018, लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के बिन्दु संख्या-2 पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि "संविलियन के पश्चात् कक्षा 1-8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।" इस संबंध में शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र० द्वारा भी शासनादेश संख्या: 1705/68-5-2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश पत्रांक संख्या: शि०नि०(बे०)/62112-62207/2018-19 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं(संलग्न)।

उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा विभाग के अर्न्तगत एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में निर्गत शासनादेश दिनांक 22.11.2018 में संशोधन उपरान्त पुन शासनादेश संख्या: 323/68-5-2020, लखनऊ, दिनांक 08 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-2 पर स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि "प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक के दायित्व" पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 22.11.2018 द्वारा ही सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र० द्वारा भी उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश पत्रांक संख्या: शि०नि०(बे०)/2187-2287/2020-21 दिनांक 11 मई, 2020 द्वारा निर्गत किये गये हैं।(संलग्न)।

उपरोक्त दोनो शासनादेश संख्या: 1705/68-5-2018, लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या: 323/68-5-2020, लखनऊ, दिनांक 08 मई, 2020 के फलस्वरूप कतिपय जनपदों द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जिज्ञासा व्यक्त की गई है जिसका निराकरण शिक्षा निदेशक के पत्रांक संख्या: शि०नि०(बे०)/3258-3352/2020-21 दिनांक 18 मई, 2020 के बिन्दु-3 पर भी वरिष्ठतम अध्यापक के दायित्वों के संबंध में स्पष्ट किया गया है(संलग्न)।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश के अनुसार जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत पूर्व में एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

संविलियन के पश्चात वरिष्ठतम अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा ही वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:उक्तवत्

भवदीय,



(विजय किरन आनन्द)  
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।  
/2019-20 तद्दिनांक।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/संविलियन/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद।
6. शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
7. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।

(विजय किरन आनन्द)  
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।

Small ei

संख्या: 1705/68-5-2018

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

- ✓ 1. शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद,  
प्रयागराज ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2018

**विषय: बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-शि०नि० (बे०)/54905/2018-19, दिनांक 30.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इन विद्यालयों के संचालन हेतु निम्नांकित कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है:-

- (1) एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर एक कक्षा-1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जायेगा।
- (2) संविलियन के पश्चात् कक्षा-1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।
- (3) विद्यालय में कक्षा-1 से 8 तक आर०टी०ई० मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितम्बर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) संविलियन के उपरान्त इन विद्यालयों में पदों की गणना संविलियन होने वाले विद्यालयों के पदों के आधार पर की जायेगी जिसके आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
- (5) विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा तथा संविलियन के उपरान्त उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जायेगा।
- (6) परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी जिसमें उपर्युक्तवत


30/10/18  
20

12/10/18 (दि)  
27/11/18

वरिष्ठतम प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक (यथास्थिति) सदस्य सचिव होंगे।

- (7) संविलियन के उपरान्त एक ही परिसर में संचालित अलग-अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायेंगे।
- (8) एक ही परिसर में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त पृथक-पृथक यू-डायस के स्थान पर एक ही यू-डायस कोड होगा।
- (9) उपर्युक्त संविलियन की कार्यवाही के उपरान्त विद्यालय का यू-डायस कोड का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (10) संविलियन किये गये विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद यथावत बने रहेंगे।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उल्लिखित बिंदुओं के आलोक में संविलियन कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुए कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  


( देव प्रताप सिंह )  
विशेष सचिव।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),  
उ०प्र०, निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०।
- 2-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक शि०नि०(बे०)/ 62112-220 / 2018-19 दिनांक 28 नवम्बर, 2018

विषय: बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1705/68-5-2018, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन किए जाने के उपरान्त विद्यालयों के संचालन हेतु निम्नांकित कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं :-

- 1- एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलयन कर एक कक्षा-1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जायेगा।
- 2- संविलयन के पश्चात् कक्षा-1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।
- 3- विद्यालय में कक्षा-1 से 8 तक आर०टी०ई० मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितम्बर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- संविलयन के उपरान्त इन विद्यालयों में पदों की गणना संविलयन होने वाले विद्यालयों के पदों के आधार पर की जायेगी जिसके आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
- 5- विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा तथा संविलयन के उपरान्त उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जायेगा।
- 6- परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी जिसमें उपर्युक्तवत् वरिष्ठतम् प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक (यथास्थिति) सदस्य सचिव होंगे।
- 7- संविलयन के उपरान्त एक ही परिसर में संचालित अलग-अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेंगे।
- 8- एक ही परिसर में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलयन के उपरान्त पृथक-पृथक यू-डायस के स्थान पर एक ही यू-डायस कोड होगा।
- 9- उपर्युक्त संविलयन की कार्यवाही के उपरान्त विद्यालय का यू-डायस कोड का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।



- 10- संविलियन किये गये विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद यथावत् बने रहेंगे।

अतः शासन के उक्त पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में संविलियन कर एक विद्यालय (कक्षा-1 से 8) संचालित कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुए कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीय,

22.11.18  
डा०(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)  
शिक्षा निदेशक(बे०), उ०प्र०  
निशातगंज, लखनऊ।

पृ०सं०-शि०नि०(बे०) / 62112-62202 / 2018-19 तददिनांक

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के क्रम में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक (शिविर), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, निशातगंज, लखनऊ।
- 3- उप शिक्षा निदेशक (प्रा०), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, निशातगंज, लखनऊ।

22.11.18  
डा०(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)  
शिक्षा निदेशक(बे०), उ०प्र०  
निशातगंज, लखनऊ।

श्री-नाम्नान/मंअन  
स्व  
11.5.2020

महत्वपूर्ण  
संख्या- 323/68-6-2020

प्रेषक

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
स्कूल शिक्षा,  
उ०प्र०, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक: 08 मई, 2020

विषय:- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक, बेसिक के कार्यालय पत्रांक-शि०नि०बे०/82480-483/2019-20 दिनांक 31.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में शासनादेश दिनांक 22.11.2018 के संदर्भ में संशोधित आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश दिनांक 22.11.2018 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- 1- एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिनमें अधिक बच्चे होंगे उस विद्यालय के साथ कम बच्चे वाले विद्यालय का संविलियन किया जायेगा।
- 2- अधिक छात्र संख्या वाले संविलित विद्यालय द्वारा एस०एम०सी० एवं मध्यान्ह भोजन निधि का खाता संचालन किया जायेगा। तदविषयक वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22.11.2018 में उत्तरदायी प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- विद्यालय में कक्षा-1 से 8 तक आर०टी०ई० मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी।
- 4- मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित संसाधनों एवं अयस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण (बर्तन, किचन, उपकरण, एल०पी०जी०, कन्टेनर आदि) एक पत्रिका में अंकित (स्टाक इन्ट्री) कर लिया जाय। उक्त स्टाक इन्ट्री का शत-प्रतिशत सत्यापन खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- जनपद में तैनात जिला समन्वयक (सिविल), विद्यालयों के संविलियन के कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जायें।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे। शासनादेश दिनांक 22.11.2018 के शेष प्राक्धान यथावत रहेंगे।

भवदीय

( रेणुका कुमार )  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
( उमेश कुमार तिवारी )  
उप सचिव।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : शि0नि0(बेसिक)/नियोजन/ 2187-2287 /2020-21, दिनांक: 11 मई, 2020

विषय:- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या 323/68-5-2020 दिनांक 08 मई, 2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में है।


उक्त के संबंध में शासनादेश दिनांक 08 मई, 2020 द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में निर्गत शासनादेश दिनांक 22/11/2018 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

- (1) एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिनमें अधिक बच्चे होंगे, उस विद्यालय के साथ कम बच्चे वाले विद्यालय का संविलियन किया जायेगा।
- (2) अधिक छात्र संख्या वाले संविलित विद्यालय द्वारा एस0एम0सी0 एवं मध्याह्न भोजन निधि का खाता संचालन किया जायेगा। तद्विषयक वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22/11/2018 में उत्तरदायी प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आर0टी0ई0 मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी।
- (4) मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण (बर्तन, किचन, उपकरण, एल0पी0जी0, कन्टेनर आदि) एक पंजिका में अंकित (स्टाक इन्ट्री) कर लिया जाय। उक्त स्टाक इन्ट्री का शत-प्रतिशत सत्यापन खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) जनपद में तैनात जिला समन्वयक (सिविल), विद्यालयों के संविलियन के कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जायें।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मई, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। शासनादेश दिनांक 22/11/2018 के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

संलग्नक:-उक्तवत्।

भवदीय,

  
11.5.2020  
डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह),  
शिक्षा निदेशक (बेसिक),  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  


पृष्ठांकन सं०: शि०नि०(बेसिक)/2187-2287 /2020-21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- (2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- (3) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- (4) राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशात्मज लखनऊ।
- (5) निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, प्रयागराज।
- (8) सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, प्रयागराज।
- (9) समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)

2187 11.5.2020  
डॉ०(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह),  
शिक्षा निदेशक (बेसिक),  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
a/gu

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जनपद, उ०प्र०

पत्रांक शि०नि०(बे०)/ 3258-3352

/2020-21 दिनांक 18/05/2020

विषय:- बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध शासनादेश संख्या: 1705/68-5-2018 दिनांक 22.11.2018 तथा शासनादेश संख्या: 323/68-5-2020 दिनांक 08 मई, 2018 को निर्गत किया गया। जिसके फलस्वरूप कतिपय जनपदों द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जिज्ञासा व्यक्त की है, जिसका निराकरण निम्नवत् किया गया है।


क्रमांक	प्रश्न	संभावित उत्तर
1	आज तक किसी शासनादेश में यह नहीं बताया गया कि संविलियन के बाद इस विद्यालय का क्या नाम होगा, विद्यालय भवन व प्रधानाध्यापक की मुहर में क्या लिखा जायेगा, विद्यालय भवन पर कौन से रंग की पट्टी लगाई जायेगी, हरी या लाल या दोनों क्योंकि पट्टी के रंग एवं लगाये जाने की अनिवार्यता के विषय में शासनादेश है, उसी के अनुपालन में प्रा० वि० के भवन पर हरी व पू०मा०वि० के भवन पर लाल पट्टी लगाई जाती है।	<ul style="list-style-type: none"><li>जनपदों में विद्यालयों का संविलियन शासनादेश सं० 1705/68-5-2018 दिनांक 22.11.2018 तथा शासनादेश: 323/68-5-2020 दिनांक 08 मई, 2018 के आदेशों के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया जायेगा। यदि प्रांगण में एक से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं तो कम नामांकन वाले प्रा०वि० का मर्जर अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय के साथ किया जायेगा और उसका नाम प्राथमिक विद्यालय ही रहेगा और इसी प्रकार यदि प्रांगण में एक से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो कम नामांकन वाले उ०प्रा०वि० का मर्जर अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ किया जायेगा और उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय ही रहेगा और यदि प्रांगण में एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो उसका मर्जर उ०प्रा०वि० में किया जायेगा और उसका नाम उ०प्रा० विद्यालय होगा जिसके सामने (1-8 कंपोजिट) लिखा जायेगा।</li><li>विद्यालय का वरिष्ठ प्रधानाध्यापक ही अपने विद्यालय के नाम के अनुसार ही पदनाम की मुहर प्रयोग करेगा।</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्राइमरी विद्यालयों में हरी पट्टी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लाल पट्टी का प्रयोग किया जायेगा।</li> </ul>
2	आर0टी0ई0 मानकों में शिक्षकों का निर्धारण प्राथमिक(1-5) एवं उच्च प्राथमिक (6-8) के अनुसार है। इस प्रकार के विद्यालय (1-8) में शिक्षकों का निर्धारण किस प्रकार होगा यह भी निश्चित हो जाता तो उचित होता।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आर0टी0ई0 मानकों में शिक्षकों का निर्धारण प्राथमिक में 1:30 तथा उच्च प्राथमिक में 1:35 के अनुसार किया जायेगा।</li> </ul>
3	कंपोजिट स्कूल में यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अपने नाम के आगे पदनाम का लिखें। अभी तक कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वयं को प्रधानाध्यापक ही लिखते हैं	<ul style="list-style-type: none"> <li>● संविलियन के उपरान्त सीनियर अध्यापक ही प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेगा।</li> </ul>
4	अभी तक राज्य स्तर से प्राप्त आदेश/निर्देश के क्रम में यू डायस+वेबसाइट पर प्राइमरी विद्यालयों को जूनियर विद्यालयों में में मर्ज कराया गया था, जिनकी डाटा फीडिंग का कार्य गतिमान है। उक्त के संबंध में उचित दिशा-निर्देश देने का कष्ट करके पूर्व में हुए कंपोजिट विद्यालयों की डाटा फीडिंग का कार्य कराया जाये अथवा नहीं।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जनपदों में विद्यालयों का संविलियन शासनादेश सं0 1705/68-5-2018 दिनांक 22.11.2018 तथा शासनादेश: 323/68-5-2020 दिनांक 08 मई, 2018 के आदेशों के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का डाटा फीडिंग इस वर्ष भी कराया जायेगा।</li> </ul>
5	कंपोजिट विद्यालयों के संबंध में अभिवेक जी एन0आईसी0 दिल्ली से बात की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि प्राइमरी को जूनियर में या जूनियर विद्यालय को प्राइमरी में मर्ज करके कंपोजिट विद्यालय बनाया जा सकता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आयेगी। चूंकि विद्यालय अब कंपोजिट हो गया है अब न तो वो प्राइमरी रहेगा और न ही जूनियर। इस प्रकार जैसे कंपोजिट विद्यालय का डाटा फीड किया जा रहा था वैसे ही फीड किया जायेगा।	
6	क्या यह शासनादेश उन विद्यालयों पर भी लागू होगा, जो एक ही परिसर में तो हैं लेकिन दोनो के बीच में बॉर्डर्री वॉल है? कृपया मार्गदर्शन दें।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● यह शासनादेश उन सभी विद्यालयों पर भी लागू होगा, जो एक ही परिसर में तो हैं लेकिन दोनो के बीच में बॉर्डर्री वॉल है ऐसे समस्त विद्यालय एक ही परिसर में संचालित माने जायेंगे।</li> </ul>

7	सर, लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व विद्यालयों का संविलियन किया जा चुका है ऐसे में क्या इस आदेश के क्रम में संविलियन की प्रक्रिया पुनः अपनाई जायेगी।	● जिन विद्यालयों का पूर्व में संविलियन हो चुका है उन विद्यालयों में पुनः आवश्यकता नहीं है।
8	सर एक ही परिसर में यदि दो प्राथमिक विद्यालय या दो उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हों तो इस संबंध में क्या किया जायेगा।	● बिन्दु सं०-1 के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
9	प्राथमिक विद्यालय में बच्चे अधिक होने पर विद्यालय का नाम क्या होगा? स्पष्ट नहीं है।	● विद्यालय का मर्जर जिस विद्यालय के साथ होगा तो उसी मर्जर वाले विद्यालय का नाम ही रहेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार अपने जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,



डा०(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)  
शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ०प्र०  
लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या : शि०नि०/3258-3352 /2020-21 लखनऊ, तद्दिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल।



डा०(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)  
शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ०प्र०  
लखनऊ।



प्रेषक,

महानिदेशक,  
स्कूल शिक्षा, उ०प्र०।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।
- 2- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

पत्रांक: शि०नि०(बे०)/संविलियन/

/2020-21 दिनांक: 22 मार्च, 2021

विषय:—बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठतम अध्यापक के दायित्वों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञान में आया है कि जनपदों में संविलियन के पश्चात् कक्षा 1-8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक के दायित्वों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त के संबंध में शासनादेश संख्या: 1705/68-5-2018, लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के बिन्दु संख्या-2 पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि “संविलियन के पश्चात् कक्षा 1-8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।” इस संबंध में शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र० द्वारा भी शासनादेश संख्या: 1705/68-5-2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश पत्रांक संख्या: शि०नि०(बे०)/62112-62207/2018-19 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं(संलग्न)।

उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा विभाग के अर्न्तगत एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में निर्गत शासनादेश दिनांक 22.11.2018 में संशोधन उपरान्त पुन शासनादेश संख्या: 323/68-5-2020, लखनऊ, दिनांक 08 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-2 पर स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि “प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक के दायित्व” पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 22.11.2018 द्वारा ही सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र० द्वारा भी उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश पत्रांक संख्या: शि०नि०(बे०)/2187-2287/2020-21 दिनांक 11 मई, 2020 द्वारा निर्गत किये गये हैं।(संलग्न)।

उपरोक्त दोनो शासनादेश संख्या: 1705/68-5-2018, लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या: 323/68-5-2020, लखनऊ, दिनांक 08 मई, 2020 के फलस्वरूप कतिपय जनपदों द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जिज्ञासा व्यक्त की गई है जिसका निराकरण शिक्षा निदेशक के पत्रांक संख्या: शि०नि०(बे०)/3258-3352/2020-21 दिनांक 18 मई, 2020 के बिन्दु-3 पर भी वरिष्ठतम् अध्यापक के दायित्वों के संबंध में स्पष्ट किया गया है(संलग्न)।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश के अनुसार जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत पूर्व में एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

संविलियन के पश्चात वरिष्ठतम अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा ही वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:उक्तवत्

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)  
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।  
/2019-20 तददिनांक।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/संविलियन/ 86130-86377

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद।
6. शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
7. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।

(विजय किरन आनन्द)  
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।

तत्कम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुणव0वि0/मिशन प्रे0तक0फ्रे0/3394/2020-21 दिनोंक 21 अगस्त, 2020 द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण हेतु तैयार किये गये विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विभागीय प्राथमिकताओं के दृष्टिगत विद्यालयों का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत निरीक्षण करते हुए ऑनलाइन निरीक्षण आख्या प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। चूंकि वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य स्थगित है, अतः उक्त निरीक्षण आख्या में बच्चों की संख्या शून्य अंकित की जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)

राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गुण0वि0/ मिशन प्रे0 तक0फ्रे0/ 4218 /2020-21 तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. समस्त जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा एवं एम0डी0एम0, जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)

राज्य परियोजना निदेशक

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

पत्रांक / 15590 2018-19



दिनांक 29-08-18

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी  
समस्त विकासक्षेत्र/नगरक्षेत्र  
जनपद सीतापुर।

विषय: वरिष्ठता के आधार पर कार्यभार हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

अवगत हो कि आपके विकासक्षेत्र में यदि एक ही तारीख में शिक्षकों न विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया हो तो उस परिस्थिति में सबसे वरिष्ठ शिक्षक को विद्यालय का सम्पूर्ण भौतिक एवं वित्तीय प्रभार तत्काल हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करे। ध्यातव्य है कि एक ही तारीख में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में वरिष्ठता का निर्धारण जन्म तिथि को आधार मानते हुए जिस शिक्षक की जन्म तिथि अधिक हो उसे वरिष्ठतम मानते हुए अग्रतर कार्यवाही की जाये।

29/8/18

(अजय कुमार)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
सीतापुर

कार्यालय- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक: बेसिक/नियुक्ति/ 4117-35 /2018-19

प्राइमरी का मास्टर इन  
www.primarykamaster.in

दिनांक- 26-05-18

कार्यालय आदेश

प्रायः जनपद स्तर पर यह शिकायतें प्राप्त हो रही है, कि बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है तथा एक से अधिक सहायक अध्यापक/अध्यापिका कार्यरत हैं, ऐसे विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिका प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापिका न होकर कनिष्ठ अध्यापक/अध्यापिका विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका हैं। जबकि नियमानुसार वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिका ही विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका होगा/होगी। किसी विद्यालय में एक से अधिक अध्यापक/अध्यापिकाओं ने एक ही तिथि को कार्यभार ग्रहण किया है ऐसी दशा में अधिक आयु वाला अध्यापक/अध्यापिका प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका होगा/होगी। इसी प्रकार किसी विद्यालय में पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करने की दशा में पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण करने वाला अध्यापक/अध्यापिका प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका होगा/होगी।

अतः समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-शाहजहाँपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके विकास खण्ड में स्थित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं में से किसी कनिष्ठ के पास विद्यालय का प्रभार हो तो तत्काल वरिष्ठ अध्यापक को प्रभार दिलाना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में एक विद्यालय में कार्यरत एक से अधिक अध्यापकों में से किसी कनिष्ठ के पास विद्यालय का प्रभार पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(राकेश कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।  
तददिनांक।

पृ०सं०: बेसिक/नियुक्ति/

/2018-19

प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- जिलाधिकारी, महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
- 2- सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) बरेली मण्डल बरेली।
- 3- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर

पत्रांक: बेसिक/विकिध/25248-50 /2017-18 दिनांक: 31.03.2017

समस्त खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी,  
जनपद सहारनपुर,

आप अवगत है कि दिनांक-31.03.2017 को शैक्षिक सत्र समाप्ति पर कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों में कई प्रधानाध्यापक/ई0 अध्यापक भी है। ऐसी स्थिति में प्र0अ0/ई0अ0 के सेवानिवृत्त होने पर प्र0अ0/ई0अ0 पद का प्रभार नियमानुसार केवल विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक (जनपद स्तर की वरिष्ठता सूची के अनुसार) को ही दिया जाये, किसी भी दशा में कनिष्ठ शिक्षक को विद्यालय का प्रभार न दिया जाये।

(बुद्ध प्रिय सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सहारनपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
- 2- वित्त प्राइमरी क्वे मास्टर इन

[www.primarykamaster.in](http://www.primarykamaster.in)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सहारनपुर 31-3-17



# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत ।

पत्रांक/3584-89  
सगरस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी  
जनपद बागपत ।

/2020-21

दिनांक 25/8/20

विषय:- संविलियन विद्यालयों के वरिष्ठता / प्रभार के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि संविलियन विद्यालयों के वरिष्ठता/प्रभार को लेकर अनेक अपेक्षाये की गयी है जिनके सन्दर्भ में सुस्पष्ट मार्गदर्शन निम्नवत है।

01. अध्यापकों के तीन संवर्ग है (क) सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय (ख) प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय (ग) प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

मौलिक नियुक्ति तिथि के तहत वरिष्ठता का निर्धारण उपरोक्त तीनों एक प्रकार के संवर्ग के बीच में ही किया जायेगा। एक संवर्ग की तुलना दूसरे संवर्ग से नहीं की जायेगी अर्थात् जो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में कौन वरिष्ठ है इसका निर्णय मौलिक नियुक्ति तिथि से किया जायेगा परन्तु प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के मौलिक नियुक्ति की तुलना प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से नहीं की जायेगी। जिसके सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी निर्देश दिये गये है।

पुनः स्पष्ट करना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक सेवा अवधि में कनिष्ठ होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से वरिष्ठ होगा।

2. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में आये अध्यापक जिस श्रेणी/संवर्ग में जनपद में आयेगे, जनपद में उनकी वरिष्ठता की गणना उनके जनपद में आने की तिथि से की जायेगी न कि उनकी मौलिक नियुक्ति से ध्यान रहे कि अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से आये अध्यापक के जनपद बागपत में आगमन की तिथि वो ही होगी जिस दिन इनका सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के यहाँ से आदेश हुआ है।

3. मृतक आश्रित अध्यापक के सम्बन्ध में उनके मौलिक नियुक्ति तिथि उनके प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि से मानी जायेगी।

4. कई अध्यापकों में कुछ अध्यापक खासकर महिला अध्यापक वरिष्ठ होने के बावजूद भी सम्मिलित विद्यालय का प्रभार लेने में आनाकानी कर रही है यह स्थिति स्वीकार न की जाये। किसी भी प्रकार की लापरवाही कर रहे शिक्षकों की कार्यवाही प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराये।

  
(राजीव रजन कुमार मिश्र),  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बागपत

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक: एस0एस0ए0/सिविल/संविलियन/ /0// /2020-21  
समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,  
जनपद-हाथरस।

दिनांक: 30.5.2020

विषय - संविलियन विद्यालयों के वरिष्ठता/प्रभार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि संविलियन विद्यालयों के वरिष्ठता/प्रभार को लेकर अनेक अपेक्षाएँ की गयी हैं, जिनके संदर्भ में सुस्पष्ट मार्गदर्शन निम्नवत् है।

1. अध्यापकों के तीन संवर्ग हैं i- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ii- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय iii- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

मौलिक नियुक्ति तिथि के तहत वरिष्ठता का निर्धारण उपरोक्त तीनों एक प्रकार के संवर्ग के बीच में ही किया जायेगा। एक संवर्ग की तुलना दूसरे संवर्ग से नहीं की जायेगी अर्थात् जो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में कौन वरिष्ठ है इसका निर्णय मौलिक नियुक्ति तिथि से किया जायेगा परन्तु प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के मौलिक नियुक्ति तिथि की तुलना प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से नहीं की जायेगी।

पुनः स्पष्ट करना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक सेवा अवधि में कनिष्ठ होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से वरिष्ठ होगा।

2. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में आये अध्यापक जिस श्रेणी/संवर्ग में जनपद में आयेगें, जनपद में उनकी वरिष्ठता की गणना उनके जनपद में आने की तिथि से की जायेगी, न कि उनकी मौलिक नियुक्ति से। सन्दर्भ रहे कि, - अन्तर्जनपदीय ट्रांसफर में आये अध्यापकों के जनपद हाथरस में आगमन की तिथि को होगा जिस दिन इनका सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के यहां से आदेश हुआ होगा।

3. (i) मृतकाश्रित अध्यापक के संबंध में उनके मौलिक नियुक्ति तिथि उनके प्रशिक्षण पूरा होने के तिथि से मानी जायेगी।

4. कई अध्यापकों में कुछ अध्यापक खासकर महिला अध्यापक वरिष्ठ होने के बावजूद भी सम्मिलित विद्यालय का प्रभार लेने में आनाकानी कर रहे हैं यह स्थिति स्वीकार न की जाये। किसी भी प्रकार की लापरवाही कर रहे शिक्षकों की कार्यवाही प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

(मनोज कुमार मिश्र)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

हाथरस।